

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक-55/2012  
 संस्थित दिनांक-01/02/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी उकवा, आरक्षी केन्द्र बैहर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**विरुद्ध**

गोविंद पिता बाबूलाल चौधरी  
 जाति-पंवार, उम्र-37, निवासी-ग्राम दलदला,  
 पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियुक्त**

**// निर्णय //**

(आज दिनांक-19/07/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-31.12.2011 को समय 3:15 बजे स्थान ग्राम दुगलटोला उकवा मेन रोड चौकी उकवा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल केलीबर बजाज क्रमांक-एम.पी.22/ई.7461 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन द्वारा आहत ज्योतिबाई के दाहिने पैर पर टक्कर मारकर उपहति कारित किया तथा उक्त दुर्घटना कारित वाहन को बिना लायसेंस व बीमा के चलाया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक-31.12.2011 को समय 3:15 बजे स्थान ग्राम दुगलटोला उकवा मेन रोड चौकी उकवा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल केलीबर बजाज क्रमांक-एम.पी.22/ई.7461 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए फरियादी/आहत को टक्कर मार दिया था, जिससे आहत को दाहिने पैर पर चोट आयी थी। फरियादी/आहत ज्योति द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी उकवा में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/12, धारा-279, 337 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया गया तथा जिस पर थाना रूपझर में असल नंबर अपराध क्रमांक-1/12, धारा-279, 337 भा.दं.वि. के अन्तर्गत कायमी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का मुलाहिजा करवाया गया था, पुलिस ने

विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी दिनांक-31.12.2011 को समय 3:15 बजे स्थान ग्राम दुगलटोला उकवा मेन रोड चौकी उकवा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल केलीबर बजाज क्रमांक-एम.पी.22/ई.7461 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन से टक्कर मारकर आहत ज्योति बाई को उपहति कारित किया ?
3. क्या क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना लायसेंस व बीमा के चलाया?

#### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत ज्योतिबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को घटना समय से जानती है, वह ग्राम दलदला का रहने वाला है। घटना एक वर्ष पूर्व की है, घटना दिनांक को वह अपनी ननंद कविताबाई के साथ ग्राम दुगलटोला से उकवा बाजार पैदल अपनी साईड से जा रहे थे तो तभी एक मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वह गिर गयी। उक्त मोटरसाइकिल को आरोपी चला रहा था। उक्त घटना में उसके बांयी हाथ की चुड़ी टूट कर लग गई थी और बांये पैर पर मोटरसाइकिल का चक्का लग गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने उकवा चौकी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 दर्ज करवायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने

उसकी रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसका महत्वपूर्ण खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

6— कविता (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। आहत ज्योतिबाई उसकी भाभी है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व दिन के लगभग 4:30 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपनी भाभी ज्योति के साथ ग्राम दुगलटोला से उकवा बाजार पैदल जा रही थी तो आरोपी ने पीछे से मोटरसाइकिल लाया और उसकी भाभी ज्योति के ऊपर चढ़ा दिया था, जिससे उसकी भाभी ज्योति गिर गयी। उक्त घटना में उसकी भाभी ज्योति को बांये पैर और बांये हाथ में चोट आयी थी। उक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि वे लोग अपनी साईड से रोड छोड़ कर चल रहे थे उसके बाद भी आरोपी ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दिया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि वह नहीं बता सकती कि आरोपी की मोटरसाइकिल सामान्य गति से थी या नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल पीछे से आ रही थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती नहीं थी।

7— जितेन्द्र (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आहत ज्योतिबाई उसकी पत्नि है। वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उसकी पत्नि ज्योति एवं बहन कविता सामान खरीदने दुगलटोला से उकवा पैदल जा रहे थे। उसे एक्सीडेंट होने की सूचना फोन से प्राप्त हुई तो वह घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि आहत ज्योति के हाथ और पैर में चोट लगी थी। आरोपी अपनी मोटरसाइकिल के साथ घटना स्थल पर ही खड़ा था। उसे उसकी पत्नि ज्योति ने बतायी थी कि उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से मोटरसाइकिल जप्ती कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी। यद्यपि साक्षी ने घटना के समय ज्योति को दुर्घटना में आयी चोट एवं आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त करने की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है।

8— चक्षुदर्शी साक्षी नंदकिशोर (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत ज्योतिबाई को जानता है। घटना लगभग एक से ढेड़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उसकी पत्नि कविताबाई और आहत ज्योतिबाई दुगलटोला से उकवा पैदल जा रहे थे तो बीच में गाडी वाला आया और ज्योतिबाई के पैर में मोटरसाइकिल चढ़ा दिया था। उक्त घटना के समय वह

अपने घर पर था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

9— चक्षुदर्शी साक्षी हेमराज (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह जब ड्यूटी से अपने घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि दो महिलायें साईड से पैदल उकवा तरफ जा रही थी तभी आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से दलदला से उकवा की ओर आ रहा था और उसने मोटरसाइकिल से महिला को ठोस मार दिया था। घटना के समय आरोपी के साथ मोटरसाइकिल में एक और व्यक्ति बैठा था। उक्त व्यक्ति एवं आरोपी दोनों ही शराब के नशे में थे। उसने आहत महिला को ईलाज हेतु अस्पताल भेजा था। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से घटित हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा और वह घटना के समय घर पर था। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जगदीश गेडाम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.01.2012 को पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-1/2012, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा 184 मोटर यान अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा विवेचना के दौरान आहत ज्योति एवं साक्षी कविता की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी हेमराज के समक्ष घटना स्थल से मोटरसाइकिल बजाज केलीबर क्रमांक-एम.पी.22/ई.7461 काले रंग की क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आहत ज्योति, साक्षी कविता, नंदकिशोर, हेमराज, जितेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा दिनांक-03.01.2012 को साक्षी त्रिलोक चौधरी, सुशील के समक्ष वाहन क्रमांक-एम.पी.22/ई.7461 की आर.सी.बुक जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी के पास घटना दिनांक को वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति एवं उक्त वाहन का बीमा न होने से उसके विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196, 3/81 का इजाफा किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई अनुसंधान



कार्यवाही का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आहत ज्योति अ.सा.1 एवं चक्षुदर्शी साक्षी कविता (अ.सा.2) ने अभियोजन मामले का समर्थन करते हुए यह कथन किये हैं कि घटना के समय आरोपी ने मोटरसाइकिल चलाते हुए आहत ज्योति को पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई थी और उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती थी। साथ ही उक्त साक्षीगण ने आहत ज्योति को दुर्घटना में साधारण चोट कारित होने की भी पुष्टि की है। इसके अलावा अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने घटना स्थल का मौका नक्शा के अनुसार घटना स्थल लोकमार्ग के रूप में दर्शित किया है। उक्त सभी तथ्यों को खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। प्रकरण में की गई अनुसंधान कार्यवाही समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित है।

12— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि किसी भी साक्षी ने आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को घटना के समय तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का कथन नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी के द्वारा आहत ज्योति को पीछे से मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर उपहति पहुंचाई गई। ऐसी दशा में आरोपी का मोटरसाइकिल को तेजी से अथवा धीमी गति से चालन किये जाने का महत्व नहीं रह जाता, बल्कि घटना के समय आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में संदेह न रह जाने से यह उपधारणा की जा सकती है, कि आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चालन किया जा रहा था। प्रकरण में यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चालन किया जाकर आहत ज्योति को उपहति कारित की गई। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से अभियोजन की ओर से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी के पास घटना के समय उक्त वाहन चलाने हेतु वैद्य लायसेंस नहीं था तथा आरोपी ने उक्त वाहन का बीमा भी नहीं कराया था, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर नहीं किया गया है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल केलीबर बजाज कमांक-एम.पी.22/ई.7461 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत ज्योति बाई को उपहति कारित किया तथा उपरोक्त वाहन को बिना लायसेंस व बीमा के

चलाया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14— आरोपी के द्वारा किया गया अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अपराधी परीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपी के द्वारा वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है और उसके विरुद्ध अन्य अपराध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। अतएव प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 व 146/196 के अंतर्गत क्रमशः 1000/—, 500/—, 500/— व 500/— (कुल दो हजार पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

15— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16— प्रकरण में आरोपी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। अतएव उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

17— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल केलीबर बजाज क्रमांक-एम.पी.22/ई.7461 मय दस्तावेज के रजिस्टर्ड स्वामी सुरेन्द्र कुमार पिता दशरूलाल मेहरबान, निवासी उकवा तहसील बैहर जिला बालाघाट को अपील अवधी पश्चात् प्रदान की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट